ई-फाइल में नगर निगम ग्वालियर प्रदेश में दूसरे पायदान पर

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 19 मई। पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा कागजों के उपयोग को सीमित करने की दिशा में किए जा रहे कार्यों में नगर निगम ग्वालियर भी तेजी से आगे बढ रहा है। नगर निगम ग्वालियर अब ज्यादा से ज्यादा फाइलों में कागजों का उपयोग खत्म कर उनके स्थान पर ई फाइल बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। मध्य प्रदेश के सभी नगर निगम में ग्वालियर इस समय ई-फाइल पर कार्य करने को लेकर दूसरे पायदान पर है।

नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों में ई-फाइल की व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था के तहत नगर निगम ग्वालियर में ई-ऑफिस प्रणाली को लागू किया गया है। नगर निगम ग्वालियर के 276 अधिकारियों ने ई-ऑफिस पोर्टल पर अपना पंजीयन करा लिया है बल्कि ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। जबकि आने वाले 8 दिनों में 20 अन्य अधिकारियों का पंजीयन करा दिया जाएगा।

कागजों से मिलेगी मुक्ति

नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देशानुसार अब तकरीबन सभी विभागों के विभिन्न पत्रों, छुट्टी के आवेदनों, छोटी फाइलों का मूमेंट वरिष्ठ अधिकारियों के पास ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है।

पेट्रोल-डीजल की दोहरी मार: 4 दिन में दूसरी बढ़ोतरी से आम आदमी का बजट बिगड़ा

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 19 मई. देशभर में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सरकारी तेल कंपनियों द्वारा 15 मई को पेट्रोल और डीजल के दामों में एकमुश्त 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी किए जाने के बाद अब 19 मई 2026 को फिर से करीब 90 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि कर दी गई है। लगातार हो रही इस बढ़ोतरी का असर अब सीधे आम आदमी की जेब पर दिखाई देने लगा है। ग्वालियर सहित देश के विभिन्न शहरों में लोग बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं।

ग्वालियर में भी पेट्रोल पंपों पर बढ़ी हुई कीमतों का असर साफ देखने को मिल रहा है। खासतौर पर नौकरीपेशा वर्ग, छोटे व्यापारियों, ऑटो चालकों और मध्यमवर्गीय परिवारों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से परिवहन लागत बढ़ेगी, जिसका असर खाद्य पदार्थों और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ेगा। शहर में कई लोगों ने चिंता जताते हुए कहा कि यदि इसी तरह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहे तो निजी वाहन चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। लोगों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच ईंधन की कीमतों में लगातार इजाफा आम परिवारों के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है।

CHANGE OF DOB

I, Tanka Nath Upadhyaya father of Army No. 4427808F HAV Devi Prasad Upadhyaya presently residing at Rampur Post-Rampur, District-Tinsukia, State - Assam PIN-786188 do hereby solemnly affirm and state on oath I Have changed my Date of Birth From **19 Aug 1954** To **01 Jan 1958** due to wrongly entered my date of Birth in my son's service documents. That my real date of Birth is **01 Jan 1958 (One January Nineteen Fifty Eight)**. I am producing this affidavit for the purpose of evidence for my Date of Birth. both Date of Birth **19 Aug 1954 and 01 Jan 1958** pertain to one the same person. Vide affidavit no. **BX 770454 Date 18.05.2026 Gwalior.**

अपर आयुक्त ने सुनी आमजन की समस्याएँ

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 19 मई। आमजनों की विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जनसुनवाई आयोजित की गई। जिसमें नगर निगम ग्वालियर में अपर आयुक्त प्रदीप सिंह तोमर एवं मुनीश सिकरवार ने आमजनों की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई के दौरान अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सिटीसेंटर स्थित निगम मुख्यालय में आयोजित जनसुनवाई में वार्ड 36 गेंडे वाली सड़क निवासी कमल माहौर ने बताया कि गली में कुल लोगों द्वारा सड़क पर शौचालय बनाने से आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। आवेदक ने उचित कार्यवाही के संबंध में, वार्ड 9 रानीपुरा चार शहर का नाका निवासी सौरभ पाथरे ने बताया कि सीवेज कार्य के दौरान पेयजल एवं नाली की पाइपलान क्षतिग्रस्त होने से सुधरवाये जाने के संबंध में, वार्ड 61 वीर आवास सैनिक कॉलानी के रहवासियों ने आवेदन देते हुए बताया कि कॉलोनी के सामने तालाब में अवैध रूप से सीवर लाइन का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे क्षेत्र में गंदगी फैल रही है, आवेदकों ने उचित कार्यवाही के संबंध सहित अन्य आवेदनों पर सुनवाई करते हुए अपर आयुक्त ने कुछ समस्याओं का निराकरण त्वरित करते हुए बांकी समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके साथ ही जनसुनवाई में पेयजल, अतिक्रमण, सफाई, विद्युत, आवास, सीवर सफाई, नामांतरण आदि से संबंधित 40 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश अपर आयुक्त ने दिए।

आशीष मंगल बने ग्वालियर जिले के उपाध्यक्ष

ग्वालियर 19 मई. अखिल भारतीय अग्रवाल परिचय सम्मेलन के राष्ट्रीय नेतृत्व ने संगठन का विस्तार करते हुए ग्वालियर के ऊर्जावान युवा सामाजिक कार्यकर्ता आशीष मंगल को ग्वालियर जिले का युवा उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश ऐरन द्वारा समाज हित में उनके सक्रिय योगदान और सांगठनिक क्षमता को देखते हुए की गई है। आशीष मंगल की इस नियुक्ति से अग्रवाल समाज के युवाओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर है। नवनियुक्त युवा उपाध्यक्ष आशीष मंगल ने अपनी इस जिम्मेदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश ऐरन सहित समाज के सभी वरिष्ठजनों का सहृदय आभार व्यक्त किया है।

वार्ड क्रमांक 28, 29, 45, 57, 58 एवं 60 की टीमों के बीच हुआ मैच

ग्वालियर 19 मई. जन उत्थान न्यास के तत्वाधान में हो रहे विधायक प्रीमियर लीग रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के आज 6 मैच एम.एल.बी कॉलेज के खेल मैदान में सायं 4 बजे से आयोजित किये गये। पहला मैच सायं 3 :30 बजे वार्ड क्रमांक 28 की टीम 28/ए एवं टीम 28/जे के मध्य खेला गया। इसी क्रमशः में दूसरा मैच सायं 4 :30 बजे वार्ड क्रमांक 60 की टीम 60/ई एवं टीम 60/ओ के मध्य, तीसरा मैच सायं 5 :30 बजे वार्ड क्रमांक 29 की टीम 29/बी एवं टीम 29/एच के मध्य, चौथा मैच सायं 6 :30 बजे वार्ड क्रमांक 57 की टीम 57/ई एवं टीम 57/जी के मध्य, पांचवा मैच सायं 7 :30 से वार्ड क्रमांक 45 की टीम 45/डी एवं टीम 45/जे के मध्य एवं अंतिम छठवां मैच सायं 8 :30 बजे वार्ड क्रमांक 58 की टीम 58/बी एवं टीम 58/डी के मध्य खेला गया। टूर्नामेंट के अंत में न्यासी आदित्य सिकरवार द्वारा दर्शकों के लिये लक्की ड्रा खोला जाता हैं, 30 दर्शकों को आर्कषक उपहार दिये गये। मैच की शुरूआत में टूर्नामेंट के आयोजक, न्यास के अध्यक्ष एवं विधायक डॉ. सतीश सिकरवार ने अतिथियों के साथ टीमों से परिचय किया और टीमों को शुभकामनाएं दी। विभिन्न मैचों में अतिथियों के रूप में सोना-चांदी व्यापारी संघ के अध्यक्ष संजय मंगल, पार्षद धर्मेन्द्र जैन, श्याम शर्मा (बिल्डर), रमन शर्मा, इंद्रजीत शिन्दे, कांग्रेस आई.टी. सेल जिलाध्यक्ष आदित्य सेंगर मौजूद रहे। आज शाम एम.एल.बी मैदान पर पहला मैच वार्ड क्रमांक 28 की टीम 28/ए एवं टीम 28/जे के मध्य खेला गया। टीम 28/जे ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की। टीम 28/ए ने 8 ओवर में 67 रन बनाये। जिसके विरुद्ध टीम 28/जे ने 8 ओवर में 68 रन बनाये और 7 विकेट से जीत हासिल की। मैन ऑफ द मैच नरोत्तम को मिला। दूसरा मैच वार्ड क्रमांक 60 की टीम 60/ई एवं टीम 60/ओ के मध्य खेला गया। टीम 60/ओ ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की। टीम 60/ई ने 8 ओवर में 71 रन बनाये। जिसके विरुद्ध टीम 60/ओ ने 74 रन बनाये और 7 विकेट से जीत हासिल की।

यातायात अवरूद्ध कर रहे हाथ ठेले वालों को हटाया

ग्वालियर 19 मई। नगर निगम के मदाखलत अमले द्वारा सुगम यातायात के लिए शहर के विभिन्न स्थानों से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

मदाखलत अधिकारी रवि कोरी ने बताया कि नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देशानुसार नोडल अधिकारी केशव सिंह चौहान के निर्देशन में दक्षिण विधानसभा अंतर्गत महाराज बाड़ा स्थित गाँधी मार्केट एवं छापाखाना मुख्य मार्ग पर यातायात अवरुद्ध कर रहे हाथ ठेले वालों को हटाया जाकर सामान जप्ती की कार्यवाही की गई। इसके साथ ही मुख्य मार्गों पर रखी आइसक्रीम की मशीनों को जप्त कर अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत दी गई कि मुख्य मार्ग पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न किया जावे अन्यथा मदाखलत विभाग द्वारा मौके पर ही जुर्माना वसूलने की कार्यवाही की जावेगी।

नाम परिवर्तन सूचना

मुझ प्रार्थी का सही नाम **सुखवेन्द्र (SUKHVENDRA)** है जो कि मेरे मार्कसीट, खसरा, समग्र आईडी और आदि दस्तावेजो में दर्ज है। आधार कार्ड में मेरा घरू नाम **पुष्पेन्द्र सिंह** है। **पुष्पेन्द्र सिंह** और **सुखवेन्द्र** दोनों ही नाम मुझ एक ही व्यक्ति के है। अतः इस सूचना प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों और आदि में मेरा नाम **पुष्पेन्द्र सिंह (PUSHPENDRA SINGH)** के स्थान पर **सुखवेन्द्र (SUKHVENDRA)** दर्ज किया जावे व भविष्य में मुझे **सुखवेन्द्र (SUKHVENDRA)** के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा लिखा जावे।

पुराना नाम
पुष्पेन्द्र सिंह (PUSHPENDRA SINGH)
नया नाम
सुखवेन्द्र (SUKHVENDRA)
पिता श्री लाखन सिंह (LAKHAN SINGH)
निवासी हाउस नं. 47 अपना घर कॉलोनी शताब्दीपुरम ग्वालियर म.प्र.-474020

नाम परिवर्तन आम सूचना

पासपोर्ट में मेरा नाम **ब्रिजेन्द्र सिंह भदौरिया** दर्ज है जबकि आधार,पैनकार्ड आदि में **ब्रजेंद्र सिंह भदौरिया** है जो की सही है अतः भविष्य में मुझे **ब्रजेंद्र सिंह भदौरिया** के नाम से जाना पहचाना जाये।

सूचनाकर्ता
ब्रजेंद्र सिंह भदौरिया, निवासी फ्लैट नो. एस -3 रिवर व्यू कोलोनी श्री जी विला अपार्टमेंट संत पॉल स्कूल के पास मुरार ग्वालियर गिर्द मध्य प्रदेश (474006)

नाम परिवर्तन सूचना

सूचित किया जाता है। कि मै **विनोद कुमार अग्रवाल** पुत्र **श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल** निवासी- श्रीराम धर्मशाला के सामने माधोंगंज लश्कर ग्वालियर, (म.प्र.) यह कि मुझ प्रार्थी के पूर्व पासपोर्ट में नाम **विनोद अग्रवाल VINOD AGRAWAL** अंकित था। किन्तु अब मैंने अपना नाम नाम **विनोद अग्रवाल VINOD AGRAWAL** के स्थान पर नया नाम **विनोद कुमार अग्रवाल VINOD KUMAR AGRAWAL** रख लिया है एवं दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। अतः अब मुझे भविष्य में **विनोद कुमार अग्रवाल VINOD KUMAR AGRAWAL** के नाम से ही जाना एवं पहचाना जायें।

प्रार्थी
नाम विनोद कुमार अग्रवाल
पुत्र श्री - रमेश चन्द्र अग्रवाल
निवासी- श्रीराम धर्मशाला के सामने माधोंगंज लश्कर ग्वालियर, (म.प्र.)

CHANGE OF DOB

I, Ambika Devi Mother of Army No. 4427808F HAV Devi Prasad Upadhyaya presently residing at Rampur Post-Rampur, District-Tinsukia, State Assam PIN - 786188 do hereby solemnly affirm and state on oath I Have changed my Date of Birth From **08 Apr 1964** To **10 Mar 1966** due to wrongly entered my date of Birth in my son's service documents. That my real date of Birth is **10 Mar 1966 (Ten March Nineteen Sixty Six).** I am producing this affidavit for the purpose of evidence for my Date of Birth. both Date of Birth **08 Apr 1964 and 10 Mar 1966** pertain to one the same person. Vide affidavit no. **BX 770453 Date 18.05.2026 Gwalior.**

कार्यालय ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर (म.प्र.)
क्रमांक/आनन्द नगर / सम्पदा/2026/3478
ग्वालियर दिनांक 19/5/26

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री गिरीश चन्द्र तिवारी पुत्र श्री आर.एन. तिवारी, निवासी- क्वार्टर नं. 514/III, शास्त्री नगर, ग्वालियर को आनन्द नगर योजना अन्तर्गत भूखण्ड क्रमांक 58 आकार 105.00 वर्गमीटर आवंटित है। श्री गिरीश चन्द्र तिवारी को आनन्द नगर योजना के उक्त भूखण्ड क्रमांक 58 स्थल पर उपलब्ध न होने के कारण उक्त भूखण्ड के स्थान पर भूखण्ड क्रमांक 587 आकार 105.00 वर्गमीटर परिवर्तित किया गया। श्री गिरीश चन्द्र तिवारी द्वारा उक्त भूखण्ड का हस्तांतरण (विक्रय) करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक या अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दिवस के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करे, नियत अवधि के पश्चात् आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं नियमानुसार उक्त भूखण्ड का हस्तान्तरण (विक्रय) करने की अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी।

सम्पदा अधिकारी
ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त फ्लेट नम्बर 102, प्रथम मंजिल, हनुमान टाकिज के पास, कम्पू लश्कर ग्वालियर को सर्वप्रथम हितेश कलाल (राजा) के द्वारा क्रय किया गया था, जिसके बाद मेरे पक्षकार शालिनी कदम पति अक्षद कदम के द्वारा वर्ष 2009 में विधिवत रूप से हितेश कलाल (राजा) से क्रय किया गया है, उक्त फ्लेट पर वर्ष 2009 से ही मेरे पक्षकार का कब्जा एवं स्वामित्व एवं आधिपत्य चला आ रहा है, किन्तु उक्त फ्लेट को मनीषा घाटगे के द्वारा अवैध तरीके से विक्रय करने हेतु अमादा है, कोई भी व्यक्ति उपरोक्त संपत्ति के संबंध में क्रय विक्रय करता है तो ऐसा पंजीयन विक्रय पत्र, अनुबंध, डिक्री, बक्षीस, हमारे पक्षकार पर बंधनकारक नहीं होगा। सौ विदित होवे।

स्थान-इंदौर
दिनांक-20/05/2026
भवदीय
शबाना खान, एडव्होकेट
पता-66, जवाहर मार्ग, 2 फ्लोर नन्दलालपुरा चौराहा, इन्दौर, म.प्र.

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री वीरेंद्र सिंह पुत्र श्री सुल्तान सिंह निवासी न्यू राम विहार कॉलोनी पिंटू पार्क 2 मोरार ग्वालियर मध्य प्रदेश के स्वत्व, स्वामित्व एवं अधिपत्य का रिहायशी प्लॉट स्थित ग्राम करिगवा खुर्द परगना जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश जो करिगवा खुर्द के भूमि सर्वे क्रमांक 362/2 के भूभाग में स्थित है उक्त भूखंड 25'×75' पूर्व में-रास्ता आम, पश्चिम में-रास्ता आम, उत्तर में-प्लाट श्रीमति किरण, दक्षिण में-प्लाट श्रीमती किरण का है उक्त भूखंड मेरे पक्षकार व उसके पिता श्री सुल्तान सिंह के स्व. अर्जित धन व पारिवारिक सहयोग से क्रय किया गया है जिसमे मेरे पक्षकार व उसके पिता व दोनों बच्चो दीक्षा सिंह, राजवीर सिंह जो दोनों अवयस्क है का हित निहित है। मेरे पक्षकार को ज्ञात हुआ है कि उसके ससुराल पक्ष के निकट रिस्तेदार व उनके सहयोगी असामाजिक तत्वों के सहयोग के चलते उक्त भूखंड को असल दाम से बहुत कम में किसी व्यक्ति संस्था अथवा निकाय को हस्तांतरित, भारित, अथवा उक्त भूखंड में किसी का अवैध रूप से हित निहित करना चाहते है जिसका उन्हें व श्रीमती पूजा माहौर पुत्री श्री राजू माहौर को उक्त भूखंड में किसी प्रकार का हित निहित अथवा भारित करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अतः सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार का उपरोक्त वर्णित रिहायशी प्लाट/भूखंड को कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा निकाय क्रय, गिरवी/बंधक अथवा किसी भी प्रकार से भारित अथवा अंतरित न करे, ना ही उक्त अवैध क्रय, अंतरण में सहयोग करे अन्यथा ऐसे क्रय बंधक, गिरवी, भारित आदि करने वाले व्यक्ति, संस्था अथवा निकाय को कोई हित प्राप्त नहीं होगा व उक्त किसी भी प्रकार का अंतरण मेरे पक्षकार के हितो के मुकाबले पूर्णतः शून्य एवं निष्प्रभावी होगा।अतः उपरोक्तानुसार सूचित हो।

दिनांक 18/05/2026
अवधेश किशोर शर्मा (एडवोकेट)
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर
कार्यालय -रामनगर मुड़िया पहाड़, गली न. 4 नाका चंद्रवदनी लश्कर ग्वालियर मध्य प्रदेश
मोबा- 9425725103

नामांकन विज्ञप्ति/आम-सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे.क्र. 09 वार्ड क्रमांक 27 भवन क्र. 2734 स्थानः सदर बाजार पर स्थित है जो विक्रेता राधेश्याम अग्रवाल पुत्र स्व. दर्शनलाल अग्रवाल के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रमांक 1000158456 का भाग पर दर्ज/नहीं है। जिसका क्षेत्रफल 374 वर्ग फुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक और..............................दिनांक..................के द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 के अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र तहसील टप्पा मुरार क्षे.क्र. 09 पर दिनांक-19.05.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य 66/210/76330/76424 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रमांक 202/205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भी अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जाएगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक: 19.05.2026
आवेदक नाम- मृत्यु उपरांत उत्तराधिकारी, लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व. राधेश्याम गोयल
पता- सदर बाजार, मुरार वार्ड-27

CHANGE OF NAME & DOB

I, ATISH KUMAR (UNIT-13 JAK RIF) ARMY NUMBER - JC-13782263P RANK- L/NK Son of SUSHIL KUMAR presently residing at Village - Fatehpur, P.O.- Fatehpur, Teh.- Mukerian, Dist. - Hoshiarpur, State- Punjab, Pincode - 144222 (Address) inform that, I have changed my father's name from SHUSHIL KUMAR to SUSHIL KUMAR vide Affidavit. No. CB 955425 Dated- 18.05.2026 Gwalior

आम सूचना

सर्वसाधारण सूचित किया जाता है कि आवेदकगण 01- ज्ञानश्री वर्मा पुत्री स्व. रामसनेही पत्नी राजेश कुमार 02- राजन वर्मा पुत्री रामसनेही पत्नी रामप्रकाश 3- नारायण सिंह पुत्र रामसनेही निवासीगण कुशवाह कालौनी इटावा रोड भिण्ड ने मृतक भगवान सिंह वर्मा पुत्र रामसनेही निवासी कुशवाह कालौनी इटावा रोड भिण्ड म.प्र. की डाकघर भिण्ड म.प्र. में बचत खाता क्र. 010020137542 में दिनांक 06-12-2025 की स्थिति में जमा धनराशि 24897/-रूपये मय ब्याज के भुगतान हेतु उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 21 जुलाई 2026 को नियत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक संरक्षक होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 21 जुलाई 2026को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें। सूचना उपरांत, यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवायी एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा यह आज तारीख 14 May 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पक्षकार संदीप कुमार पाठक पुत्र श्री कमला शंकर पाठक उक्त अचल सम्पत्ति प्लॉट क्र. 32 स्थित भगवती बिहार कॉलोनी ग्राम अजयपुर जिला ग्वालियर में है। जो कि सर्वे क्र. 355/2, 356, 357, 358/1 का भाग 800 वर्गफुट है। जिसका म्यु. वार्ड क्र. 65 है, जो मेरे पक्षकार ने विक्रय अनुबंध पत्र के तहत क्रय करना स्वीकार किया। मेरे पक्षकार के विक्रेतागण अल्का डोगरा पत्नी स्व. श्री विजय सिंह एंव कृतिका पुत्री स्व. श्री विजय सिंह द्वारा के सहभूस्वामी हितेश डोगरा पुत्र स्व. श्री विजय सिंह डोगरा की काश्त की कृषि भूमि खसरे में संयुक्त भूमि राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज होकर चली आ रही। मेरी पक्षकारा के द्वारा किये विक्रय अनुबंध पत्र के तहत चतुरसीमा निम्नानुसार है :- पूर्व में-प्लॉट क्र. 27, पश्चिम में-रोड, उत्तर में-प्लॉट क्र. 33, दक्षिण में-प्लॉट क्र. 31 जिसका कुल क्षेत्रुफल 800 वर्गफुट है। मेरे पक्षकार के विक्रेतागण अल्का डोगरा पत्नी स्व. श्री विजय सिंह एंव कृतिका पुत्री स्व. श्री विजय सिंह द्वारा मु. आम हितेश डोगरा पुत्र स्व. श्री विजय सिंह डोगरा के द्वारा उक्त अचल संपत्ति प्लॉट क्र. 32 मेरे पक्षकार संदीप कुमार पाठक पुत्र श्री कमला शंकर पाठक को विक्रित किये जाने बावत अगर किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, निगम, शासकीय, अशासकीय विभागों या प्राईवेट फायनेंश को कोई या विक्रेतागण के सहभूस्वामी हितेश डोगरा पुत्र स्व. श्री विजय सिंह डोगरा को कोई उज्र व आपत्ति हो तो मय सबूत के नीचे पते पर 07 दिवस के अन्दर उपस्थित होकर आपत्ति पेश करे वरना म्याद गुजरने के बाद कोई उज्र व आपत्ति मान्य व स्वीकार नहीं होगी और मेरा पक्षकार संदीप कुमार पाठक पुत्र श्री कमला शंकर पाठक अचल संपत्ति प्लॉट क्र. 32 कुल क्षेत्रफल 800 वर्गफुट को क्रय करने बावत हाउसिंग लोन की सुविधा आई. सी. आई. सी. आई. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड सिटी सेंन्टर ग्वालियर से आवंटित करा रहा है। जो सुचित हो।

दिनांक -19.05.2026
स्थान-ग्वालियर
भवदीय
संजय बाकलीवाला एडवोकेट
चिक संतर मुरार ग्वालियर
मो. 9300981954

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा श्रीमती विद्या बाथम पत्नी श्री नारायण प्रसाद ने उक्त अचल संपत्ति प्लॉट स्थित ग्राम अजयपुर जिला ग्वालियर में है। जिसका म्यु. वार्ड क्र. 65 एंव सर्वे क्र. 467/1, 486/1, 479/1, का भाग 690 वर्गफुट है। जो मेरी पक्षकारा की क्रयशुदा सम्पत्ति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्र. एम. पी. 21 आई. जी. आर. 17402025ए 101201212 तारीखी 29.12. 2025 में रामकटोरी बाई पत्नी स्व. श्री घनश्याम सिंह कुशवाह, रेनू पुत्री स्व. श्री घनश्याम सिंह कुशवाह एंव महाराज सिंह, करन सिंह पुत्रगण स्व. श्री घनश्याम सिंह कुशवाह से क्रय किया। मेरी पक्षकारा की क्रयशुदा सम्पत्ति विक्रय पत्र के तहत चतुरसीमा निम्नानुसार है। पूर्व में-प्लॉट कुशवाह, पश्चिम में- रोड, उत्तर में -प्लॉट बाथम दक्षिण में-प्लॉट खटीक जिसका कुल क्षेत्रफल 690 वर्गफुट है। लेकिन मेरी पक्षकारा के विक्रेतागण रामकटोरी बाई पत्नी स्व. श्री घनश्याम सिंह कुशवाह, रेनू पुत्री स्व. श्री घनश्याम सिंह कुशवाह एंव महाराज सिंह, करन सिंह पुत्रगण स्व. श्री घनश्याम सिंह कुशवाह के द्वारा उक्त अचल संपत्ति प्लॉट मेरी पक्षकारा श्रीमती विद्या बाथम पत्नी श्री नारायण प्रसाद के द्वारा विक्रित किये जाने बावत अगर किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, निगम, शासकीय, अशासकीय विभागों या प्राईवेट फायनेंश को कोई या विक्रेतागण के सहभूस्वामी गौरीशंकर, अर्जुन पुत्रगण स्व. श्री घनश्याम सिंह कुशवाह को कोई उज्र व आपत्ति हो तो मय सबूत के नीचे पते पर 07 दिवस के अन्दर उपस्थित होकर आपत्ति पेश करे वरना म्याद गुजरने के बाद कोई उज्र व आपत्ति मान्य व स्वीकार नहीं होगी और मेरी पक्षकारा श्रीमती विद्या बाथम पत्नी श्री नारायण प्रसाद की क्रयशुदा सम्पत्ति प्लॉट कुल क्षेत्रफल 690 वर्गफुट को बंधक रखकर हाउसिंग लोन की सुविधा आदित्य बिरला हाउसिंग फायनेंश लिमिटेड ग्वालियर से आवंटित करा रही है। जो सुचित हो।

दिनांक 19.05.2026
ग्वालियर स्थान
भवदीय
संजय बाकलीवाला एडवोकेट
चिक संतर मुरार ग्वालियर
मो. 9300981954

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा श्रीमती संगीता दोहरे पत्नी श्री मंगल कुमार उक्त अचल सम्पत्ति प्लॉट क्र. 10 का भाग एवं 11 पूरा ब्लॉक-बी स्थित ग्राम अजयपुर जिला ग्वालियर में है। जो कि सर्वे क्र. 355/2, 356, 357, 358/1 का भाग 1250 वर्गफुट है। जिसका म्यु. वार्ड क्र. 65 है, जो मेरी पक्षकारा ने विक्रय अनुबंध पत्र के तहत क्रय करना स्वीकार किया। मेरी पक्षकारा के विक्रेतागण अल्का डोगरा पत्नी स्व. श्री विजय सिंह एंव कृतिका पुत्री स्व. श्री विजय सिंह द्वारा के सहभूस्वामी हितेश डोगरा पुत्र स्व. श्री विजय सिंह डोगरा की काश्त की कृषि भूमि खसरे में संयुक्त भूमि राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज होकर चली आ रही। मेरी पक्षकारा के द्वारा किये विक्रय अनुबंध पत्र के तहत चतुरसीमा निम्नानुसार है। पूर्व में-प्लॉट क्र. 12, पश्चिम में-रोड, उत्तर में-रोड, दक्षिण में - प्लॉट क्र. 10 का भाग जिसका कुल क्षेत्रफल 1250 वर्गफुट है। मेरी पक्षकारा के विक्रेतागण अल्का डोगरा पत्नी स्व. श्री विजय सिंह एंव कृतिका पुत्री स्व. श्री विजय सिंह द्वारा मु. आम हितेश डोगरा पुत्र स्व. श्री विजय सिंह जोगरा के द्वारा उक्त अचल संपत्ति प्लॉट क्र. 10 का भाग एंव 11 पूरा ब्लॉक - बी मेरा पक्षकारा श्रीमती संगीता दोहरे पत्नी श्री मंगल कुमार को विक्रित किये जाने बावत अगर किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, निगम, शासकीय, अशासकीय विभागों या प्राईवेट फायनेंश को कोई या विक्रेतागण के सहभूस्वामी हितेश डोगरा पुत्र स्व. श्री विजय सिंह डोगरा को कोई उज्र व आपत्ति हो तो मय सबूत के नीचे पते पर 07 दिवस के अन्दर उपस्थित होकर आपत्ति पेश करे वरना म्याद गुजरने के बाद कोई उज्र व आपत्ति मान्य व स्वीकार नही होगी और मेरी पक्षकारा श्रीमती संगीता दोहरे पत्नी श्री मंगल कुमार अचल संपत्ति प्लॉट क्र. 10 का भाग एंव 11 पूरा ब्लॉक - बी कुल क्षेत्रफल 1250 वर्गफुट को क्रय करने बावत हाउसिंग लोन की सुविधा पी. एन. बी. एच. एफ. एल. ग्वालियर से आवंटित करा रही है। जो सुचित हो।

दिनांक -19.05.2026
स्थान-ग्वालियर
भवदीय
संजय बाकलीवाला एडवोकेट
चिक संतर मुरार ग्वालियर
मो. 9300981954

प्रकरण क्रमांक- 07/ब-121/2026-27
न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी जिला शाजापुर म.प्र
क्रमांक/रीडर/2026/45-46
शाजापुर दिनांक-28-04-2026
सार्वजनिक सूचना (दिनांक-28-04-2026 को जारी)

आवेदकगण (वर) 1-जितेन्द्र वशिष्ठ पिता श्री परमेश्वर वशिष्ठ आयु 31 वर्ष जाति खत्री निवासी वार्ड क्रमांक 28 कृष्ण कालोनी दुपाडा रोड शाजापुर तहसील व जिला शाजापुर म.प्र. एवं (वधू) मधु पुष्कर पिता श्री माताप्रसाद उम्र 21 वर्ष जाति जाटव निवासी कबीर बस्ती सर्वोदय नगर थाटीपुर ग्वालियर तहसील गिर्द जिला ग्वालियर म.प्र. द्वारा इस न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के तहत उनके विवाह का पंजीयन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण द्वारा आवेदन के साथ स्वयं के शपथ पत्र, अंकसूची, आधारकार्ड, जाति प्रमाण पत्र स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, पुरोहित महेन्द्र त्रिवेदी सोमवारिया बाजार शाजापुर का प्रमाणीकरण एवं विवाह पंजीयन अधिकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी शाजापुर द्वारा किये गये विवाह पंजीयन तथा तीन गवाहों के शपथ पत्र, की छाया प्रति चालान प्रति भी पेश की गई है।

2- आवेदकगण द्वारा उनका विवाह दिनांक 16-11-2025 को स्थान-अमन गार्डन आदित्य नगर शाजापुर तहसील जिला शाजापुर म.प्र. में सम्पन्न होना उल्लेखित किया गया है। आवेदकगण अब अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत सहायता राशि प्राप्त करने हेतु हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के तहत उक्त विवाह का पंजीयन कराना चाहते है।

3- आवेदकगण के उपरोक्त विवाह पंजीयन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो और वह कोई आक्षेप प्रस्तुत करना चाहता है तो वह इस सूचना के जारी किये जाने के दिनांक से तीस दिन की समाप्ति पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि में कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होने पर उक्त विवाह का पंजीयन कर दिया जावेगा।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
एवं विवाह अधिकारी जिला ग्वालियर म.प्र.

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सीमा पत्नी श्री जितेंद्र सिंह के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की एक अचल संपत्ति जिसका पटवारी हल्का क्र. 14, ग्राम बड़फरा एवं तहसील अम्बाह व जिला मुरैना के सर्वे क्र. 308/1 की होकर जिसकी चतुसीमा:- पूर्व में- प्लाट भूरी सिंह दलजीत का पुरावाले, पश्चिम में- गली 15 फुट चौड़ी, उत्तर में- प्लॉट फौजी, दक्षिण में- भूमि विक्रेता व कुल क्षेत्रफल 900 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति पूर्व में श्रीमान बाबूलाल पुत्र श्री लाल, मातादीन पुत्र श्री रामजीत सिंह, हरी सिंह पुत्र श्री मोहनलाल, रामभरोसी पुत्र श्री राम सिंह, मुन्नीराम पुत्र श्री बलराम, रामखिलाड़ी, निहाल सिंह पुत्रगण श्री अजमेर सिंह, रामेश्वर सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह, भीकम, केशव पुत्रगण श्री सागर सिंह, रामप्रकाश, रामबिलास, करतार सिंह, बालस्टर सिंह पुत्रगण श्री रणवीर सिंह एवं अन्य के स्वत्व, स्वामित्व व संयुक्त आधिपत्य की थी जिसका उल्लेख राजस्व विभाग के दस्तावेजों में विधिवत दर्ज है जिसमें श्रीमान रामभरोसी के फोत उपरांत उनके वारिस अर्थात गंगा देवी (पत्नी), राकेश सिंह, भूपेन्द्र सिंह (पुत्रगण) के नाम राजस्व विभाग में दर्ज किये गये। तत्पश्चात, केवल श्रीमती गंगा देवी पत्नी स्व. श्री रामभरोसी द्वारा श्रीमाती सीमा पत्नी श्री जितेंद्र सिंह को ई- रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र विलेख दस्तावेज क्र. MP25802022A1441840 व दिनांक 27.04.2022 से विक्रय की गई। अतः उक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष उक्त संपत्ति पर ऋण प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत होकर बंधक किए जाना प्रस्तावित है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी पूर्ण या अंश भाग पर या किसी भी संस्था की कोई राशि अवशेष हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि में विधिवत अपने दावे के समर्थन में समस्त प्रप्रत्र सहित मेरे कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा वर्णित अवधि के अवसान उपरांत समस्त आपत्तियां इस सूचना प्रपत्र के समक्ष व्यर्थ, शून्य व प्रभावहीन होंगी और उक्त संपत्ति पर प्रदत्त ऋण हेतु बंधककर्ता वित्तीय संस्थान का अधिकार सर्वोपरि होगा। कृपया सूचित हो।

इति दिनांक :- 19.05.2026

प्रेषक- **विशाल अग्रवाल** (अधिवक्ता)
कार्यालय- 'मैसर्स श्री हीरानन्द लीगल कंसल्टेंट'
ग्राउंड फ्लोर यादव मार्केट, जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट नं. 2 के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर म.प्र. **मो. 9826820987**

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमान दिलीप सिंह पुत्र श्री रामदयाल के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की एक अचल संपत्ति जिसका वार्ड क्र. 47, काशीबाबा कॉलोनी, प्रेम नगर, ग्राम जौराखुर्द एवं तहसील मुरैना नगर व जिला मुरैना के सर्वे क्र. 1742 की होकर जिसकी चतुसीमा:- पूर्व में- मकान रामबालिक, पश्चिम में- रास्ता 15 फुट चौड़ा, उत्तर में- मकान लक्ष्मण, दक्षिण में- मकान राजकुमारी व कुल क्षेत्रफल 333 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति पूर्व में श्रीमान होतम सिंह पुत्र श्री चूरामनि किरार के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की थी। तत्पश्चात, श्रीमान होतम सिंह पुत्र श्री चूरामनि किरार जर्ये मुख्तयार आम श्रीमान मुरारीलाल शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा द्वारा श्रीमती सामन्थी देवी पत्नी श्री रामदयाल को रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र विलेख सरल क्र. 419 तथा ग्रंथ क्र. 5566 व दिनांक 12.05.2004 से विक्रय की गई, जिसमें सामन्थी देवी के फोत उपरांत उनके वारिस अर्थातः रामदयाल (पति), लक्ष्मण, दिलीप, कमलेश, प्रगवती, शीला के नाम राजस्व विभाग में दर्ज हुए। तदुपरांत श्रीमान रामदयाल पुत्र श्री ग्याराम द्वारा श्रीमान दिलीप सिंह पुत्र श्री रामदयाल को ई-रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र विलेख दस्तावेज क्र. MP25792016A1486118 व दिनांक 16.08.2018 से विक्रय की गई। तदानुसार उक्त संपत्ति के अंश भाग का रजिस्टर्ड सह-स्वामित्व पत्र विलेख शीघ्र ही श्रीमान दिलीप सिंह पुत्र श्री रामदयाल द्वारा श्रीमती राजकुमारी सरल पत्नी श्री दिलीप सरल के पक्ष में संपादित किया जाने वाला है। अतः उक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष उक्त संपत्ति पर ऋण प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत होकर बंधक किए जाना प्रस्तावित है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी पूर्ण या अंश भाग पर या किसी भी संस्था की कोई राशि अवशेष हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि में विधिवत अपने दावे के समर्थन में समस्त प्रप्रत्र सहित मेरे कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा वर्णित अवधि के अवसान उपरांत समस्त आपत्तियां इस सूचना प्रपत्र के समक्ष व्यर्थ, शून्य व प्रभावहीन होंगी और उक्त संपत्ति पर प्रदत्त ऋण हेतु बंधककर्ता वित्तीय संस्थान का अधिकार सर्वोपरि होगा। कृपया सूचित हो। इति दिनांक- 19.05.2026

प्रेषक- **विशाल अग्रवाल** (अधिवक्ता)
कार्यालय- 'मैसर्स श्री हीरानन्द लीगल कंसल्टेंट'
ग्राउंड फ्लोर यादव मार्केट, जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट नं. 2 के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर म.प्र. **मो. 9826820987**

केनरा बैंक Canara Bank (भारत सरकार का उपक्रम / A Government of India Undertaking) सिंडिकेट Syndicate Bank
क्षेत्रीय कार्यालयः प्रथमतल साईं बाबा कॉम्पलेक्स, जीडीए बिल्डिंग के पास, फूलबाग, ग्वालियर फोन: 0751-2423126

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

अधोहस्ताक्षरकर्ता केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (12) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्मलिखित ऋणधारी को निम्न खाते के सामने वर्णित राशि एवं उस पर ब्याज राशि एवं सहित नोटिस प्राप्ति के 60 दिन की समय अवधि के भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया था ऋणी निर्धारित समय सीमा में ऋण का भुगतान करने में असफल रहा है। अतः ऋणी/जमानतदार एवं सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उक्त नियम (8 एवं 9) के अंतर्गत नीचे वर्णित संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया है। ऋणग्रहीता को विशिष्टयता और सर्वसाधारण को सामान्यतः एतद् द्वारा निम्नलिखित संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई व्यवहार निम्न खाते के सामने वर्णित राशि एवं उस पर ब्याज के लिए केनरा बैंक की संबंधित शाखा के अधीन होगा। ऋणी एवं जमानतदारों का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को उपलब्ध समय में छुड़ाने (**Redeem** कराने) के संबंध में अधिनियम की धारा (8) के प्रावधानों के तहत आकर्षित किया जाता है।

ऋणी एवं संपत्ति मालिक/जमानतदार का नाम	नोटिस के अनुसार राशि	बंधक रखी संपत्ति का विवरण
शाखा : केनरा बैंक ग्वालियर माधवगंज मोबा: 89894-73896, E-mail : cb5202@canarabank.com		
ऋणी : मेसर्स शारदा इंडस्ट्रीज, प्रो.- हेमलता शर्मा सीओ सत्येन्द्र शर्मा पताः न्यू कृष्णा विहार 16 ए थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.)-474001 मालिक / बंधककर्ता - हेमलता शर्मा सीओ सत्येन्द्र शर्मा पताः 16-17 ए न्यू कृष्णा विहार थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.)-474001	₹13,88,132.15/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे-वसूली मांग नोटिस दिनांक **27-02-2026** कब्जा दिनांक **16-05-2026**	संपत्ति स्वामी - श्रीमती हेमलता शर्मा - वाणिज्यिक प्लॉट संख्या यू-67 का ईएमटी, जिसका क्षेत्रफल 1050 वर्ग मीटर है। यह औद्योगिक क्षेत्र घिरोंगी मालनपुर, जिला भिंड (म.प्र.) में स्थित है। **चतुर-सीमाएँ: पूर्व:** सर्विस रोड, **पश्चिम:** प्लॉट संख्या यू-64, **उत्तर:** प्लॉट संख्या यू-66, **दक्षिण:** प्लॉट संख्या यू-68

स्थानः ग्वालियर | दिनांकः 19/05/2026 | प्राधिकृत अधिकारी केनरा बैंक

आम सूचना

सर्व साधारण आम खास को सूचित किया जाता है कि मेरी व्यवहारिणी के पति का 01.01.2024 को स्वर्गवास हो चुका है, मेरे तीन पुत्र मुकेश उर्फ रामू, संजय एवं गोविन्द तोमर एवं पुत्री श्रीमती मंजू राजावत है। मेरे द्वारा अपने स्त्री धन से सम्पत्ति स्थित मेहरा सिरौल न्यू सिटी सेन्टर का भूखण्ड एवं मेरे पति के द्वारा स्वयं की आये से महाराणा प्रताप नगर में 800 वर्गफुट का भूखण्ड क्रय किया गया जिसमें भूतल में मेरे पति के वकालात की व्यवसाय का कार्यालय था जिसमें वर्तमान में मेरा पुत्र संजय वकालात का व्यवसाय संचालित कर रहा है। मेरी व्यवहारिणी का बड़ा पुत्र मुकेश उर्फ रामू न्यायालय में अभिभाषक के सहयोगी के रूप में कार्य करता है तथा मेरी व्यवहारिणी का छोटा पुत्र प्राइवेट नौकरी करता है तथा मेरी पुत्री अधिकतर ससुराल में रहती है और मेरे यहां आती- जाती रहती है। मेरी व्यवहारिणी का छोटा पुत्र गोविन्द व पुत्रवधु श्रीमती प्रीति पत्नि श्री गोविन्द सिंह पुत्री श्री राजेन्द्र सिंह वैश मेरी व्यवहारिणी के पति के मृत्यु के पश्चात् से झगड़ा करती है तथा पुत्रों व पुत्रवधु एवं पुत्री पर झूठे प्रकरण पंजीबद्ध कराकर जेल में सड़वाने की धौंस देती है, कई बार पुलिस थाने में झूठी शिकायत करने के लिए गई है। मेरी व्यवहारिणी अपने स्वयं की एवं अपने पति की सम्पत्ति में से पुत्रवधु श्रीमती प्रीति एवं पुत्र गोविन्द के आचरण व व्यवहार के कारण अपनी सम्पत्ति में कोई हिस्सा नहीं देना चाहती है और अपनी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करती है। मेरी व्यवहारिणी की पुत्रवधु श्रीमती प्रीति एवं पुत्र गोविन्द के द्वारा किया गया कोई भी कार्य या संव्यवहार का उत्तरदायी मेरी व्यवहारिणी एवं उसके अन्य पुत्र व पुत्रवधु एवं पुत्री नहीं होंगे। **दिनांक 19/05/2026**

प्रेषक- **श्रीमती गौमती पत्नि स्व. श्री के.एस. तोमर**
मो. 9584932168
वास्ते- **श्रीमती राधा शर्मा** (एडवोकेट)
मो. 8305811102

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 07 व स्थान- अचलेश्वर इन्कलेव में स्थित है जो कि कृष्णा यादव/राजेन्द्र यादव के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 9000244206 पर दर्ज है / नहीं है जिसका क्षेत्रफल 1101 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक एमपी21/जीआर17402026 ए100565296 दिनांक 13/5/2026 द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्मति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 19-5-2026
आवेदक का नाम/पता/मो.नं.
वंदना देवी/छविराम सिंह
पता-अचलेश्वर इन्कलेव, ग्वालियर म.प्र., मोब.-9797734468

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 07 व स्थान- अर्नव ग्रीन सिटी सागरताल रोड पर स्थित है जो कि अवन्तिका गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित अभिषेक शर्मा/सूर्यकांत शर्मा के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 9000244226 पर दर्ज है / नहीं है जिसका क्षेत्रफल 615 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक एमपी21/जीआर17402025 ए100793034 दिनांक 04/9/2025 द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्मति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 19-5-2026
आवेदक का नाम/पता/मो.नं.
आशा सिसोदिया/लक्ष्मन सिंह सिसोदिया
पता-अर्नव ग्रीन सिटी सागरताल रोड, ग्वालियर म.प्र.

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 07 व स्थान- अर्नव ग्रीन सिटी सागरताल रोड पर स्थित है जो कि अवन्तिका गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित अभिषेक शर्मा/सूर्यकांत शर्मा के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 9000244276 पर दर्ज है / नहीं है जिसका क्षेत्रफल 525 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक एमपी21/जीआर17402025 ए100799290 दिनांक 04/9/2025 द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्मति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 19-5-2026
आवेदक का नाम/पता/मो.नं.
राखी भदौरिया/राकेश भदौरिया
पता-अर्नव ग्रीन सिटी सागरताल रोड, ग्वालियर म.प्र.

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 01 वार्ड क्रमांक 04 व स्थान- बुलबुलपुरा पर स्थित है जो कि सुनील/सोबरन के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक1000214595 पर दर्ज है / नहीं है जिसका क्षेत्रफल 520 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक एमपी21/ जीआर17402025ए100560275 दिनांक 02/7/2025 द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्मति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र बहोड़ापुर दिनांक 19/5/2026 को किया गया है. जिसकी कार्य क्रमांक 60/2010/74202/74408 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 19-5-2026
आवेदक का नाम/पता/मो.नं.
गगन कुमार शाक्य/मासुन्दर
पता-बुलबुलपुरा ग्वालियर म.प्र.

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 15 वार्ड क्रमांक 34 व स्थान- आर्दश कॉलोनी पर स्थित है जो कि रूप लाल सैनी, किशोर कुमार सैनी, राकेश कुमार सैनी/रूप लाल सैनी/प्रभुदयाल के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक1000066917 पर दर्ज है / नहीं है जिसका क्षेत्रफल 250 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक एमपी 142602022ए11022333 दिनांक 11/10/2022 द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्मति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र गॉधी मार्केट दिनांक 19/5/2026 को किया गया है. जिसकी कार्य क्रमांक 70/2010/48657/48624 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 19-5-2026
आवेदक का नाम/पता/मो.नं.
किशोर कुमार सैनी/स्व. प्रभुदयाल सैनी
पता-आर्दश कॉलोनी, ग्वालियर म.प्र.
मोब-9926246614

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 18 वार्ड क्रमांक 49 व स्थान- संतोष वाटिका हारकोट सीर पर स्थित है जो कि वीरू कुशवाह,धर्मेन्द्र चौरसिया/स्व. अमर सिंह के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक9000228294 पर दर्ज है / नहीं है जिसका क्षेत्रफल 400 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक एमपी 142602023ए12677932 दिनांक 19/12/2023 द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्मति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र गोरखी पानी की टंकी दिनांक 19/5/2026 को किया गया है. जिसकी कार्य क्रमांक 83/2010 /18839/41138 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 19-5-2026
आवेदक का नाम/पता/मो.नं.
पूजा माखीजा/इन्दर कुमार माखीजा
पता-संतोष वाटिका हारकोट सीर, ग्वालियर म.प्र.
मोब-9399190558